संख्या–वे0आ0–2– 255 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) सहायक आयुक्त (खाद्य) के पद को वर्तमान वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–से वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–के स्तर पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया जाय।

(2) खाद्य संवर्ग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी के पदों पर निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता रखी जाय :–

(A) खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer)

(iii) A Bachelor's degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbilogy or Post-Graduate degree in Chemistry or degree in Medicine from a recognised University or any other equivalent/recogniged qualification notified by the Central Government, and

(ii).....Has successfully completed training as specified by the Food Authority in a recognised Institute or Institution approved for the purpose;

Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import or sale of any article of food shall be appointed to be a Food Safety Officer under this rule i.e. Food Safety and Standards Rules, 2011;

(B) अभिहित अधिकारी (Designated Officer)

(i) Masters Degree in Chemistry as one of the subject from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto, or

(ii) At least one of the qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Food Safety Officer under these Rules.

(3) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, लिपिकीय संवर्ग तथा आशुलिपिक आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ अलग से दी जा चुकी हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(4) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2– 255(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।